14/18

A2/2

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – यशपाल आहूजा, R.A.S.

वादपत्र संख्या 14/2018
अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

निखिल खुराना आत्मज श्री सुरेन्द्रकुमार खुराना, अरोड़ा, चक 13 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगगानगर **...वादी**

बनाम

1. सुरेन्द्रकुमार आत्मज श्री बनवारीलाल, अरोड़ा, चक 13 जी छोटी हाल 2–ए–35 जवाहरनगर, श्रीगंगानगर
2. सविश खुदाना आत्मज श्री सुरेन्द्रकुमार, अरोड़ा, चक 13 जी छोटी हाल 2–ए–35 जवाहरनगर, श्रीगंगानगर
3. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर.

..प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री संजय जनवेजा (वादी)
श्री रोबिन गुम्बर (प्रतिवादी–1,2)
पैरोकार राज (प्रतिवादी–3)

दिनांक 11 अप्रेल, 2018

– निर्णय –

वादपत्र के तथ्यों के अनुसार चक 13 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 76 मुरब्बा नम्बर 10 की कुल 3.163 हैकटर में से 2/3 हिस्सा अर्थात 2.109 हैक्टर एवं खाता संख्या 77 मुरब्बा नम्बर 2, 10 एवं 25 की कुल 6.445 हैक्टर कृषि भूमि मय खाल राजस्व अभिलेखों में वादी के पिता श्री सुरेन्द्रकुमार के नाम पर खातेदारी दर्ज है. प्रश्नगत कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति है, प्रतिवादी संख्या 1 के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ही उत्तराधिकारी है जिनके अतिरिक्त अन्य कोई उत्तराधिकारी नहीं है. प्रश्नगत कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति होने के कारण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का अपने पिता प्रतिवादी संख्या 1 के साथ हक व हिस्सा बनता है. जिसके लिये प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पारिवारिक स्तर पर बंटवारा कर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 को चक 13 जी छोटी के खाता संख्या 76 मुरब्बा नम्बर 10 के 2.109 हैक्टर एवं खाता संख्या 77 मुरब्बा नम्बर 10 की 3.162 हैक्टर कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 को दी गयी है जिसके ½ हिस्सा पर वादी काबिज होकर मौका पर काश्त कर रहा है. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कथन किये गये कि जब भी वादी चाहेगा, सहमति से विभाजन करवाकर राजस्व अभिलेखों में उसके नाम पर भूमि दर्ज करवा देंगे जिस पर विश्वास करते हुऐ वादी द्वारा अपने हिस्सा की उल्लेखित कृषि भूमि पर बड़ी मेहनत कर एवं काफी राशि का व्यय कर सुधार कार्य करवाये गये हैं. कुछ दिन पूर्व वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से उसके हिस्सा की कृषि भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज क़रवाने के कथन करने पर प्रतिवादी संख्या 1 टालमटोल करते हुऐ

सहायक कलक्टर एवं
कार्यापालक दण्डनायक

14/18

A2/3

दिनांक 10 दिसम्बर, 2017 को इन्कार हो गया. इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1, वादी को उसका हक एवं न्याय नहीं देना चाहता है ऐसी स्थिति में, प्रश्नगत पैतृक सम्पत्ति में से वादी अपने अधिकारों की घोषणा करवाना चाहता है जिसके लिये वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया. यही वादहेतुक वादी को उपलब्ध है. इस प्रकार वादी द्वारा चक 13 जी छोटी के खाता संख्या 76 मुरब्बा नम्बर 10 के 2.109 हैक्टर एवं खाता संख्या 77 मुरब्बा नम्बर 10 की 3.162 हैक्टर कृषि भूमि में से ½ हिस्सा एतद्द्वारा 2.635 हैक्टर के खातेदारी की घोषणा एवं पृथक से लगान कायम करने का निवेदन किया गया. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में जमाबन्दी सम्बत् 2069–2072, चक 13 जी छोटी के नामान्तरकरण संख्या 43, चक 13 जी छोटी के नामान्तरकरण संख्या 376, चक 13 जी छोटी के नामान्तरकरण संख्या 317 की प्रमाणित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित. प्रतिवादी संख्या 3 राज्यपक्ष की ओर से राज्यप्रतिनिधि उपस्थित.

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा स्वयं उपस्थित आकर राजीनामा दिनांक 21 फरवरी, 2018 प्रस्तुत किया गया. वादी की शिनाख्त अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की शिनाख्त अधिवक्ता श्री रोबिन गुम्बर द्वारा की गयी. इसके अतिरिक्त, वादी के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 9165 6199 1321, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 4993 9836 9819 एवं प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 8546 5694 3022 की स्वः प्रमाणित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी. अतः राजीनामा प्रमाणित किया गया.

प्रतिवादी संख्या 3 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज द्वारा जवाब वादपत्र दिनांक 5 अप्रेल, 2018 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार राज्यहितों को मध्यनजर रखते हुऐ निर्णय पारित किये जाने पर अनापत्ति प्रस्तुत की गयी.

पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा, प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत जवाब राज्यपक्ष के परिदृश्य विवाद्यकों का निर्धारण अपेक्षित नहीं रहा. वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा राजीनामा के समर्थन में प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किये गये.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान) अधिनियम, 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वादपत्र डिक्री किया जाता सकता है. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार भी पारिवारिक समझौता को अधिक महत्व दिया गया है.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

ऐसी स्थिति में, प्रस्तुत अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2069–2072, चक 13 जी छोटी के नामान्तरकरण संख्या 43, चक 13 जी छोटी के नामान्तरकरण संख्या 376, चक 13 जी छोटी के नामान्तरकरण संख्या 317 के अनुसार चक 13 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 76 मुरब्बा नम्बर 10 की कुल 3.163 हैकटर में से 2/3 हिस्सा अर्थात 2.109 हैक्टर एवं खाता संख्या 77 मुरब्बा नम्बर 2, 10 एवं 25 की कुल 6.445 हैक्टर कृषि भूमि मय खाल पैतृक सम्पत्ति है जिसमें पारिवारिक बंटवारा के अनुसार चक 13 जी छोटी के खाता संख्या 76 मुरब्बा नम्बर 10 के 2.109 हैक्टर एवं खाता संख्या 77 मुरब्बा नम्बर 10 की 3.162 हैक्टर कृषि भूमि में से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 प्रत्येक ½-½ हिस्सा कृषि भूमि प्रत्येक प्राप्त करने का अधिकारी है

।। आदेश ।।

अतः वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 21 फरवरी, 2018 के अनुसार ही **वादी श्री निखिल खुराना को**– चक 13 जी छोटी के खाता संख्या 76 मुरब्बा नम्बर 10 के 2.109 हैक्टर एवं खाता संख्या 77 मुरब्बा नम्बर 10 की 3.162 हैक्टर कुल 5.272 हैक्टर कृषि भूमि मय खाल में से ½ हिस्सा एवं **प्रतिवादी संख्या 2 श्री सविश खुराना को** – चक 13 जी छोटी के खाता संख्या 76 मुरब्बा नम्बर 10 के 2.109 हैक्टर एवं खाता संख्या 77 मुरब्बा नम्बर 10 की 3.162 हैक्टर कुल 5.272 हैक्टर कृषि भूमि मय खाल में से ½ हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है. यथा डिक्री जारी हो.

आदेश अधिवक्तागण के समक्ष खुले लोक अदालत न्यायालय में आज दिनांक 11 अप्रेल, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(यशपाल आहूजा)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.